बिहार में महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण

कुमार अभिनेश

शोध छात्र, शिक्षा संकाय, बी० आर० अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय,मुजफ्फरपुर

परिचय :

शिक्षा आज के युग में किसी भी क्रिया के समुचित संचालन के लिए आवश्यक है। कृषि, उद्योग, व्यापार के उचित संचालन में शिक्षा की जरूरत होती है। यह लोगों की सोच, समझदारी, कुशलता एवं निपुणता को बढ़ाती है। शिक्षा द्वारा कृषि उत्पादन, उत्पादकता में सुधार के साथ-साथ औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाने में मदद मिलती है। इस तरह शिक्षा सामाजिक-आर्थिक उत्थान एवं विकास को गति प्रदान करता है। महिलाओं के लिए शिक्षा का खास महत्व है। शिक्षित महिलाएँ जनसंख्या नियंत्रण में, प्रजनन दर को कम करने तथा बच्चों के सम्यक विकास में अहम भूमिका अदा करती हैं तथा शिक्षा उनके सशक्तिकरण में मददगार होता है। स्पष्टत: शिक्षा तथा सामाजिक-आर्थिक विकास में सकारात्मक संबंध है। शिक्षा एक ऐसी सामाजिक संरचना है जो व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक विकास को बल प्रदान करती है। शिक्षा के अंतर्गत हम कई बातों का अध्ययन करते हैं। साक्षरता, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा इत्यादि का अध्ययन हम शिक्षा के अंतर्गत करते हैं।

साक्षरता :

साक्षरता इस बात का द्योतक है कि लोग हस्ताक्षर करना, थोड़ा पढ़ना-लिखना जानते हैं। साक्षरता दर राज्यों में शिक्षा के प्रचार एवं विस्तार का एक सूचक होता है। कुछ अन्य राज्यों के साथ बिहार की साक्षरता दर को नीचे की तालिका में दर्शाया गया है-

सारणी-1

बिहार में साक्षरता

	1951			1991			2011		
राज्य	**महिला साक्षरता**	**पुरुष साक्षरता**	**कुल**	**महिला साक्षरता**	**पुरुष साक्षरता**	**कुल**	**महिला साक्षरता**	**पुरुष साक्षरता**	**कुल**
बिहार	3.80	20.50	12.20	22.89	52.49	38.48	51.20	71.20	61.80
उड़ीसा	4.50	27.30	15.80	34.68	63.09	49.09	64.01	81.59	72.87
प. बंगाल	12.20	34.20	24.00	46.56	67.81	57.70	70.54	81.69	76.26
केरल	31.50	31.50	40.70	86.13	93.62	89.81	92.07	96.11	94.00
तमिलनाडु	10.00	31.70	20.80	51.33	73.75	62.66	73.44	86.77	80.09
कर्नाटक	9.20	29.10	19.30	44.33	67.26	56.04	68.08	82.47	75.36
महाराष्ट्र	9.70	31.40	20.90	52.32	76.56	64.87	75.87	88.38	82.34
भारत	7.90	24.90	18.30	39.29	64.13	52.21	65.46	82.46	74.04

स्त्रोत : भारत की जनगणना, 1951 एवं 1991 में बिहार के साथ झारखंड के आँकड़े शामिल हैं।

सारणी में दिए गए आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि बिहार में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि धीमी रही है। बिहार साक्षरता की दृष्टि से देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, प. बंगाल, कर्नाटक इत्यादि राज्य साक्षरता की दृष्टि से सबसे आगे हैं। महिला साक्षरता एवं पुरुष साक्षरता दोनों की दृष्टि से बिहार पीछे है। बिहार राष्ट्रीय स्तर से भी बहुत कम साक्षरता दर हासिल कर सका है। साक्षरता के मामले में स्त्रियों की स्थिति काफी खराब है। बड़े राज्यों में केवल साक्षरता में प्रथम तो बिहार महिला एवं पुरुष दोनों की साक्षरता में सबसे निचले पायदान पर है। पुरुष साक्षरता 60 प्रतिशत के करीब है, जबकि महिला साक्षरता लगभग 33 प्रतिशत ही पर टिकी है।

छठवीं योजना में राज्य में सबको प्रारंभिक शिक्षा देने एवं संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। नवीं योजना में प्राथमिक शिक्षा विभाग का परिव्यय 86500. 00 लाख रुपये था, जिसे दसवीं योजना में बढ़ाकर 90370.75 लाख रुपये किया गया है। राज्य में 6-14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों के नामांकन को 2003 तक पूरा करने, 1-5 तक की शिक्षा 6-14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए 2007 तक पूरा करने तथा 6-14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों की 1-8 तक की शिक्षा 2020 तक पूरा करने का उद्देश्य रखा गया है।

राज्य में अधिकांश विद्यालय सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, बहुत कम निजी हाथों में है। कुछ व्यक्तियों, संस्थाओं या ट्रस्टों द्वारा भी प्राथमिक स्कूल चलाए जाते हैं। कई कारणों से राज्य में बच्चे बीच में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ देते हैं। ड्रॉप आउट दर करीब 45 प्रतिशत है। गरीबी तथा अभिभावकों के उदासीन रवैया के कारण ऐसा होता है। प्रौढ़ लोगों (15 से 35 वर्ष) के लिए प्रौढ़ शिक्षा योजना तथा जो किसी कारण स्कूल नहीं जा सकते उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा योजना भी चलाई जा रही है।

आठवीं से दसवीं कक्षा की शिक्षा माध्यमिक शिक्षा तथा ग्यारहवीं- बारहवीं को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा में राजकीय एवं राजकीयकृत स्कूल है। 1987-88 से केन्द्र द्वार प्रायोजित व्यावसायिक शिक्षा (Vocational education) भी चल रहा है, जिसका उद्देश्य स्कूल की दुनिया एवं काम की दुनिया में अंतर को पाटना है।

उच्च/उच्चत्तर शिक्षा के अंतर्गत सामान्य शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा को शामिल किया जाता है। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत मेडिकल, इंजीनियरिंग, पशु-विज्ञान, कृषि शिक्षा, प्रबंधन शिक्षा इत्यादि को रखा जाता है। उच्चतर शिक्षा महाविद्यालयों में दी जाती है। कृषि विश्वविद्यालय, अभियंत्रण महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय तथा प्रबंधन महाविद्यालय/संस्थाएँ इत्यादि तकनीकी शिक्षा की संस्थाएँ हैं। बिहार में शिक्षा की स्थिति का जायजा ऊपर के विवरण से मिल जाता है। बिहार में जनसंख्या के आकार एवं राज्य के जरूरतों के अनुरूप शिक्षा का विकास नहीं हो पाया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति :

बिहार में जो शिक्षा नीति है वह राष्ट्रीय नीति पर आधारित है। समानता पर आधारित सामाजिक-व्यवस्था के निर्माण के लिए सबको को साक्षर बनाना एवं 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने की नीति पर राज्य अमल कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रावधानों को लागू करने का प्रयास किया गया है। बिहार में भी ऐसी शिक्षा पर बल दिया गया है जो राष्ट्रीय अखंडता, एकीकरण पर बल देता है। समाजवादी ढाँचे के समाज के आदर्शों को प्राप्त करने तथा समाज के सभी वर्ग खास करके कमजोर, वंचित समाज की शिक्षा पर जो दिया गया है। राज्य में औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा व्यावसायिक / पेशेवर शिक्षा प्रदान करने की नीति का अनुसरण किया जा रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा, निरक्षरता दूर करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों को लागू करना, ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर शिक्षा के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन,

सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। कोशिश हो रही है लेकिन बिहार में शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है।

बिहार में शिक्षा की समस्याएँ :

बिहार में शिक्षा से जुड़ी अनेक समस्याएँ हैं। इन समस्याओं का संबंध शिक्षक एवं शिक्षण की गुणवत्ता, उनकी नियुक्ति, शिक्षा के प्रबंध, शिक्षा के व्यावसायीकरण / बाजारीकरण, लोगों की आर्थिक स्थिति तत्पश्चात् शिक्षा के स्तरीकरण से जुड़ी निम्न समस्याएँ हैं:-

1. शिक्षकों की कमी : राज्य में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शिक्षकों की कमी है। सृजित पदों पर भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। प्रत्येक स्तर पर शिक्षक बड़ी मात्रा में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन नई बहाली नहीं हो पा रही है। इसके कारण प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चत्तर शिक्षा का कार्य बाधित हो रहा है।

2. शिक्षण की खराब गुणवत्ता : यह समस्या एक ओर शिक्षकों की कमी के कारण है तो दूसरी ओर सही लोगों की नियुक्ति नहीं होने के कारण। पैरवी एवं पैसे के बल पर अच्छे की बजाए दोयम दर्जे के लोग शिक्षण पेशे में घुस रहे हैं, जिससे दी जाने वाली शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हो रही है। साथ ही शिक्षकों की ट्रेनिंग एवं सेवा के अंदर प्रशिक्षण (In-Service Training) का अभाव है, जिसके कारण शिक्षक खुद अद्यतन जानकारी नहीं रख पाते, सामग्री का नवीकरण नहीं हो पाता, फलत: शिक्षा की गुणवत्ता पर असर होता है।

3. नामांकन एवं प्रतिधारण(Retention) से जुड़ी समस्या:

राज्य में नामांकन भी कम है, लेकिन जो बच्चे स्कूल में नामांकन भी कराते हैं वे शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। बीच में ही लगभग 45-50 प्रतिशत बच्चों की शिक्षा छूट जाती है। अत: ड्रॉप आउट की समस्या भी एक बड़ी समस्या है। यह समस्या लोगों की आर्थिक स्थिति, उनकी गरीबी के साथ-साथ अभिभावकों की उदासीनता का परिणाम होती है। इसलिए सबके लिए शिक्षा अभी भी संभव नहीं हो पायी हैं। बहुत लोग आज भी शिक्षा की पहुँच से वंचित है।

4. शिक्षा का व्यवसायीकरण :

आज लोगों ने शिक्षा को सामाजिक सेवा न मानकर उसे लाभ का जरिया बना लिया है। यही कारण है कि दोयम दर्जे की संस्थाएँ प्रत्येक गली, मुहल्ले में खुल रही हैं। शिक्षा और खास करके अंग्रेजी माध्यम शिक्षा के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। शिक्षण दूकान की भरमार हो गई है, जिसमें गुणवत्ता कम लेकिन मोटी रकम ऐंठे जाते हैं। न तो अच्छे शिक्षक होते हैं, ना ही आधारभूत सुविधाएँ। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की भरमार हो गई है जो सिर्फ आय या लाभ के लिए संचालित किए जा रहे हैं।

5. आधारभूत सुविधाओं का अभाव :

स्कूलों में भवन की कमी के साथ आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। न तो बैठने के लिए बेंच-डेस्क है, न शौचालय एवं सफाई की व्यवस्था है। बिना छत के जर्जर भवनों में या जमीन पर बैठकर अध्ययन-अध्यापन कार्य चलता है।

6. शिक्षा का स्तरीकरण :

राज्य में आर्थिक स्थिति के आधार पर शिक्षा एवं स्कूल का बँटवारा-सा हो गया है। अत्यंत धनी घर के बच्चे बिहार से बाहर दिल्ली, पुणे इत्यादि में, धनी एवं उच्च मध्यम वर्ग के बच्चे अच्छे इंगलिश माध्यम स्कूलों- डी.पी.एस., सेंट माइकेल, संत जेवियर्स, जोसेफ कॉन्वेंट सरीखे स्कूलों में पढ़ते हैं। निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे सरकारी, राजकीय विद्यालयों में तो निर्धन वर्ग के बच्चे सरकारी, नगर निगम के स्कूलों में पढ़ते हैं। पैसे वाले अच्छी शिक्षा खरीद सकते हैं, लेकिन साधनविहीन एवं निर्धन अच्छी शिक्षा क्या सामान्य शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण एवं बाजारीकरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ रह है।

7. व्यावसायिक शिक्षा का अभाव : अधिकांश छात्रों को सामान्य शिक्षा दी जा रही है, उन्हें डिग्रियाँ तो मिलती हैं। लेकिन रोजगार नहीं मिलता। व्यावसायों के शिक्षा की नितांत कमी है। यदि व्यवसायों की शिक्षा दी जाए तो स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा

इस तरह के शिक्षित छात्र दूसरों को भी रोजगार मुहैया करा सकते हैं। तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

9. उच्च शिक्षा की खराब स्थिति : बिहार में विश्वविद्यालय की स्थिति अत्यंत खराब है। वे साधनों के अभाव में कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं। आंतरिक साधनों की कमी, शुल्क संरचना का अत्यंत निम्न होना, साधन के लिए सरकार पर निर्भरता उनके क्रियाकलाप को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामले में अनेक तरह की विसंगतियाँ हैं, शिक्षकों में असंतोष का वातावरण है, जो शिक्षा की गुणवत्ता एवं कुशलता को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है।

10. शिक्षकों में गैरहाजिरी का उच्च प्रतिशत : शिक्षकों का स्कूल न आना तथा गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगा रहना बिहार की शिक्षा की पहचान बन गई है। एक अध्ययन के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की गैरहाजिरी दर 26 प्रतिशत है जो देश के औसत या अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक सरकारी कार्यों में लगाया जाना शिक्षा को बुरी तरह प्रभावित करता है।

ये सारी समस्याएँ राज्य में शिक्षा को प्रभावित कर रही है। अत: इनके समाधान के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए निम्नांकित कदम उठाए जा सकते हैं-

1. **रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति :** सभी स्तरों पर रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति यथाशीघ्र कराने की व्यवस्था की जाए। नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता हो। हालांकि वर्तमान सरकार इस कार्य में काफी सक्रिय हैं।
2. **सक्षम, योग्य शिक्षकों की बहाली :** नियुक्ति की प्रणाली में सुधार किया जाए तथा सक्षम, योग्य लोगों की बहाली सुनिश्चित हो।
3. **महिलाओं की शिक्षा में सुधार :** महिलाओं में शिक्षा बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए।
4. **खराब किस्म के शिक्षण संस्थानों पर रोक :** तेजी से बढ़ते घटिया किस्म के शिक्षण संस्थानों पर रोक लगाई जाए।
5. **आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था :** स्कूलों तथा शिक्षण संस्थाओं में आधारभूत सुविधाएँ, भवन, पुस्तक, उपकरण इत्यादि मुहैया कराई जाए।
6. **सही समय पर वेतन एवं प्रोन्नति की व्यवस्था:** सही समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रोन्नति की स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ नीति का अनुसरण किया जाए।
7. **गरीब वर्ग के लोगों के लिए नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था :** गरीब वर्ग के लोगों को नि:शुल्क शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं के साथ-साथ दोपहर के भोजन की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए।
8. **कदाचारमुक्त परीक्षा की व्यवस्था :** सरकार तथा प्रशासन कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए तत्पर होकर काम करें। इसके लिए शिक्षकों /अभिभावकों का सहयोग भी अति आवश्यक है।
9. **गैर-शिक्षण कार्यों से शिक्षकों को मुक्त रखना:** शिक्षकों को गैर-शिक्षण कार्यों से यथासंभव मुक्त रखा जाए।
10. **व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन :** व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए सरकार नए संस्थाओं की स्थापना के साथ-साथ सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करें।
11. **शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार :** शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समय-समय पर शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, नवीकरण के कोर्स चलाए जाएँ। शिक्षक उत्तरदायित्व के साथ काम करें इसके लिए ग्रामीणों की निगरानी समिति बने। अभी मुखिया-पंचायत स्तर पर देख-रेख कर रहे हैं लेकिन वहाँ भी स्थिति अच्छी नहीं है।

वर्तमान सरकार द्वारा शिक्षा में सुधार के काफी सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। 1 लाख शिक्षकों

की नियुक्ति, विद्यालय भवन का निर्माण, कम्प्यूटर से लैस करना इत्यादि सराहनीय कदम हैं। इसके बावजूद, शिक्षा में सुधार के लिए सरकार को बहुत कुछ करना है क्योंकि देश में शिक्षा के मामले में बिहार 21वें स्थान पर है। देश के स्कूलों में सबसे ज्यादा कम्प्यूटर बिहार के स्कूलों में है जबकि इस मामले में बिहार ही सबसे नीचे है।

महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम :

यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्पश्चात् ही देश में महिलाओं की स्थिति में सुधाार हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गए तथापि वांछित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। स्वाधीनता के बाद के पचास वर्षों के योजनाबद्ध विकास से सरकार ने यह महसूस किया कि महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण समतापूर्ण समाज की स्थापना और संतुलित विकास हेतु अति-आवश्यक है। इसीलिए सरकार ने पिछले डेढ़ दशकों में जहाँ कई विशेष महिला कल्याणकारी कार्यक्रमों को पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल किया है, वहीं महिला शिक्षा विशेषकर ग्रामीण महिला प्राथमिक शिक्षा को भी उच्च प्राथमिकता दी है। साथ ही सरकार ने पूर्व में पारित कुछ अधिनियमों को संशोधित करते हुए उसे और भी कठोर एवं सशक्त बनाया है जिससे कि महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ हो सके। इसके अतिरिक्त सत्ता प्रतिष्ठानों में महिलाओं की साझेदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए हैं।

संशोधन एवं विधेयक :

संविधान का 73वाँ और 74वाँ संशोधन महिलाओं के अधिकार के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था क्योंकि इसके द्वारा महिलाओं के लिए पंचायत और शहरी निकायों के प्रतिनिधित्व में एक-तिहाई स्थान आरक्षित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त इस सत्ता संस्थाओं में प्रधान एवं अध्यक्ष के एक-तिहाई पद को भी महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया जिससे कि उन्हें न केवल प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त हो बल्कि नेतृत्व करने का भी सुअवसर प्राप्त हो। बिहार के पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी गई हैं।

उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से यह विदित होता है कि स्वाधीनता के पश्चात् महिला कल्याण, महिला विकास और महिला सुदृढ़ीकरण को राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक पोषण मिला है। समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें विकसित समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विधायी उपायों, कल्याणकारी योजनाओं और विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया है। इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप आज महिलाएँ अपने अधिकारों एवं दायित्वों की प्रति सजग हुई है और उनमें स्वावलम्बन एवं आत्मनिर्भरता की भावना जागृत हुई हैं।

शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति में धीमी गति से परिवर्त्तन दृष्टिगोचर हो रही हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के लागू किए जाने और उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण से विशेषकर ग्रामीण महिलाओं में एक नये उत्साह का संचार हुआ है। आज बहुत सारी ग्रामीण महिलाएँ मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद् सदस्य हैं। अब ग्रामीण महिलाएँ भी समाज में अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही है और वे अपने अधिकार और दायित्व के प्रति सजग और जागरूक होती जा रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकतर महिलाएँ सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवा-क्षेत्र में कार्यरत हैं।

वर्त्तमान समय में यद्यपि महिलाएँ रोजगार के सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही है और उनकी कार्य स्थितियों में सुधार एवं रोजगार के बेहतर अवसर के साथ-साथ कानूनी सुरक्षा तथा विकास के समुचित प्रबन्ध किए गए तथापि उनके साथ कार्य करने की जगहों पर भेदभाव, शारीरिक शोषण और अन्य कई प्रकार के अधिकारों का हनन अब भी जारी हैं। अत: स्पष्ट है कि अभी भी महिलाओं की दशा में काफी प्रोत्साहन एवं सुधार की जरूरत है तभी महिला सशक्तिकरण के प्रयास

में सफलता मिलेगी। इस दृष्टि से निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता हैं:

1. महिलाओं में जागृति उत्पन्न की जाए और उनके आत्मविश्वास को जगाया जाए ताकि वे अपने अधिकार एवं कर्त्तव्यों को समझ सकें। इसके लिए महिला शिक्षा की ठोस व्यवस्था करने की आवश्यकता हैं। इस दृष्टि से कस्तूरबा गाँधी शिक्षा योजना और कस्तूरबा गाँधी विद्यालय योजना जैसे योजनाओं का क्रियान्वयन सराहनीय कदम हैं।

2. महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा, अत्याचार, बलात्कार, शोषण जैसे विभिन्न अपराधों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण और उसका अति-शीघ्रता से निष्पादन करने की आवश्यकता है, तभी महिलाओं का विधायी व्यवस्था और प्रशासन में विश्वास बढ़ेगा और वे समाज में अपने को सुरक्षित महसूस करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में भयमुक्त होकर सहभागिता सुनिश्चित कर सकेगी।

3. स्वरोजगार की योजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे कि महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर हो सकें। इसके लिए सरकार द्वारा **राष्ट्रीय महिला कोष** की स्थापना एक प्रशंसनीय कदम हैं।

4. उत्पीड़ित महिलाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही महिला संरक्षण से संबंधित विभिन्न कानूनों का वास्तविक एवं कड़ाई से क्रियान्वयन की भी आवश्यकता है।

5. समाज की मानसिकता को बदला जाए। इसके लिए साक्षरता अभियान में तेजी लाते हुए इसे जन-आन्दोलन बनाने की जरूरत है जिससे कि साक्षरता कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता अधिक से अधिक हो सकें। इसके अतिरिक्त महिलाओं को भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी तभी वे समाज में अपने स्वयं की पहचान बना सकेगी और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा एवं सम्मान पुनः प्राप्त कर सकेगी।

निष्कर्षः

महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाने के पक्ष में परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही हैं। लगभग डेढ़ दशक पूर्व पंचायती राज अधिनियम और उसमें 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के प्रावधान से और हाशिएँ पर खड़ी महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विभिन्न परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से महिलाओं के सशक्तिकरण की जो पहल प्रारम्भ की गई थी, वह अब जमीनी स्तर पर साकार होती नजर आ रही हैं। शिक्षा एक शस्त्र के रूप में जहाँ नव-चेतना का संचार कर रही है जो महिला साक्षरता दर में सतत् वृद्धि के रूप में दृष्टिगोचर है। महिला सशक्तिकरण एक लगातार चलने वाली अनवरत एवं गतिशील प्रक्रिया हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु नियोजित प्रयास निरन्तर जारी रखे जाए तभी महिला सशक्तिकरण की दिशा में सफलता मिलेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

1. डॉ० राजकुमार : नारी के बदलते आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, 2005
2. जय प्रकाश व्यास : नारी शोषण, ज्ञानदा प्रकाशन, पटना, 2005
3. सैलजा नागेंद्र : वोमेन्स राइट्स, एडीवी पब्लिशर्स, जयपुर, 2006
4. सुनील कान्त भट्टाचार्य : भारत की सामाजिक समस्याएँ राधा पब्लिके न्स, नई दिल्ली, 2004
5. आशा कौशिक : नारी सशक्तिकरण : विमर्श एवं यथार्थ, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2004
6. सुभाष काश्यप : हमारा संविधान, नेशलन बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 1996
7. प्रकाश नारायण नाराणी : महिला जागृति और कानून, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2002.
8. डॉ० कमल प्रसाद बौद्धः नारी शिक्षा के विविध आयाम, बुद्ध मिशन ऑफ इण्डिया,प्रकाशन,पटना

✦✦✦